[2021] 2 एस.सी.आर. 81

ऑप्टो सर्किट इंडिया लिमिटेड

बनाम

एक्सिस बैंक और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 102/2021)

03 फरवरी 2021

[एस.ए. बोबडे, सीजेआई, ए.एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति]

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - धारा 17,2 (v) और धारा 2(w) - प्रवर्तन निदेशालय ने अपीलार्थी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही शुरू की - उक्त प्रक्रिया में उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय ने दिनांक 15.05.2020 को प्रत्यर्थी संख्या 1 के एंटी मनी-लॉन्ड्रिंग अधिकारी को संबोधित संचार के माध्यम से 3 बैंकों को निर्देश दिया कि अपीलकर्ता कंपनी द्वारा बनाए गए खातों को 'डेबिट फ्रीज/स्टॉप ऑपरेशन' किया जाए - पीड़ित, अपीलार्थी ने रिट याचिका दायर की और खाते को डेबिट फ्रीज करने के लिए 15.05.2020 को जारी किए गए संचार को रद्द करने की मांग की - उच्च न्यायालय ने दिनांक 15.05.2020 के संचार को बरकरार रखा - सर्वोच्च कोर्ट के समक्ष, अपीलार्थी ने वैधानिक भुगतान और कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के उद्देश्य से बैंक खातों को डीफ्रीज करने का अनुरोध किया - अभिनिर्धारित: तत्काल मामले में, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 के तहत विचार की गई प्रक्रिया का अधिकारी द्वारा पालन नहीं किया गया था - एंटी मनी-लॉन्ड्रिंग अधिकारी को फ्रीजिंग की मांग करने के लिए दिनांक 15.05.2020 को विवादित संचार जारी करने के अलावा, कानून में विचार की गई किसी अन्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है - उक्त संचार अधिकृत अधिकारी के विश्वास को संदर्भित नहीं करता है - इसमें केवल यह कहा गया है कि अधिकारी मामले की जांच कर रहा है और प्रासंगिक दस्तावेज चाहता है - इसके बाद, यह अचानक कहता है कि खातों को 'डेबिट फ्रीज/ऑपरेशन बंद' करना होगा - हालांकि, जो आवश्यक है वह फाइल में एक आदेश है जो संचार जारी होने से पहले *धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002* की धारा 17 (1) के तहत प्रदान किए गए विश्वास को दर्ज करता है और उसके बाद फ्रीजिंग के बाद *धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002* की धारा 17 (2) की आवश्यकता का अनुपालन किया जाता है - *धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002* के धारा 17 के अनुपालन को इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई है, विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के कार्य के कमीशन के विश्वास को रिकॉर्ड करना और इसे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष रखना या खाते को फ्रीज करने के बाद आवेदन

दायर करना - इसलिए, फ्रीजिंग कानूनी आवश्यकता के उचित अनुपालन के बिना है और टिकाऊ नहीं है - दिनांक 15.05.2020 का संचार रद्द कर दिया गया है - चूंकि, फ्रीजिंग कानून के उचित अनुपालन के बिना की गई थी, इसलिए प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी द्वारा वैधानिक बकाया आदि के लिए सलाह दिए गए खातों और सम्मान भुगतानों को डीफ्रीज करने का निर्देश दिया।

क़ानूनों की व्याख्या - यदि कोई कानून किसी काम को एक विशेष तरीके से करने का प्रावधान करता है, तो इसे अकेले उसी तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं - यदि हितकारी सिद्धांत को परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है, तो तत्काल मामले में, हालांकि धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में अधिकृत अधिकारी के पास पर्याप्त शक्ति निहित है; ऐसी शक्ति क़ानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा सीमित है - इस प्रकार शक्ति का प्रयोग केवल उसी तरीके से किया जाना है, जिसमें विफल रहने पर यह कानून के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगा।

धन की रोकथाम - धनशोधन अधिनियम, 2002 - योजना और उद्देश्य - चर्चा की।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित : 1. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 के अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि पूर्व शर्त यह है कि निदेशक या ऐसे अन्य अधिकृत अधिकारी को धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए, अपने कब्जे में जानकारी के आधार पर, यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति ने धन शोधन से संबंधित कार्य किए हैं और तलाशी में पाए गए किसी भी रिकॉर्ड या संपत्ति को जब्त करने की आवश्यकता है। अधिकारी के इस तरह के विश्वास को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 की उपधारा (1ए) में यह प्रावधान है कि उपधारा (1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी ऐसे अभिलेख या संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकता है जहां ऐसे अभिलेख या संपत्ति को जब्त करना व्यवहार्य नहीं है। उप-धारा (2) में यह उपबंध है कि तलाशी और अभिग्रहण के बाद या निरोध आदेश जारी होने पर प्राधिकृत अधिकारी अपने कब्जे में सामग्री के साथ अभिलिखित कारणों की एक प्रति सीलबंद लिफाफे में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजेगा। उपधारा (4) में यह उपबंध है कि उपधारा (1) या (1क) के अधीन किसी अभिलेख या सम्पत्ति को अभिग्रहण या अभिग्रहण करने वाला प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसी अभिग्रहण या अभिग्रहण से तीस दिनों की अवधि के भीतर, अभिनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष ऐसे अभिग्रहण या अभिग्रहण की गई संपत्तियों को बनाए रखने का अनुरोध करते हुए आवेदन दायर करेगा। [अनुच्छेद 9]

2. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की योजना सुविचारित है। जबकि यह मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और अपराधियों को कानून के दायरे में लाने के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, यह उन व्यक्तियों के अधिकारों की भी रक्षा करता है जिनके खिलाफ प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करके अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसलिए समयसीमा सहित एक प्रक्रिया प्रदान की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शक्ति का प्रयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए अधिकारी को ऐसी शक्ति निहित है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भी लूप में रखा जाता है। तत्काल मामले में, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 के तहत विचार की गई प्रक्रिया, जिसके लिए ऊपर संदर्भ दिया गया है, का पालन अधिकृत अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। एंटी मनी-लॉन्ड्रिंग अधिकारी को फ्रीजिंग की मांग करने के लिए दिनांक 15.05.2020 को विवादित संचार जारी करने के अलावा, कानून में विचार की गई किसी अन्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। वास्तव में, आक्षेपित संचार अधिकृत अधिकारी के विश्वास को भी संदर्भित नहीं करता है, भले ही वह अलग से दर्ज किया गया हो। इसमें केवल यह कहा गया है कि अधिकारी मामले की जांच कर रहा है और प्रासंगिक दस्तावेजों की मांग कर रहा है, लेकिन सारणीबद्ध कॉलम में अचानक कहा गया है कि खातों को 'डेबिट फ्रीज/स्टॉप ऑपरेशन' होना चाहिए। यह निश्चित रूप से आवश्यक नहीं है कि बैंक को संबोधित संचार में ही सभी विवरण होने चाहिए। लेकिन जो आवश्यक है वह फाइल में एक आदेश है जो संचार जारी होने से पहले धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत प्रदान किए गए विश्वास को दर्ज करता है और उसके बाद फ्रीजिंग के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 (2) की आवश्यकता का पालन किया जाता है। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 के अनुपालन को इंगित करने के लिए न्यायालय के समक्ष कोई अन्य सामग्री नहीं रखी गई है, विशेष रूप से धन शोधन के कार्य के विश्वास को दर्ज करते हुए और इसे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष रखने के लिए या खाते को फ्रीज करने के बाद आवेदन दायर करने के लिए। उस दृष्टिकोण से, फ्रीजिंग या इसकी निरंतरता कानूनी आवश्यकता के उचित अनुपालन के बिना है और इसलिए, टिकाऊ नहीं है। [अनुच्छेद 11]

3. इस न्यायालय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि यदि कोई कानून किसी विशेष तरीके से किसी काम को करने का प्रावधान करता है, तो उसे अकेले उसी तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं। इसलिए, यदि हितकारी सिद्धांत को परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है, तो तत्काल मामले में, हालांकि अधिकृत अधिकारी के पास पर्याप्त शक्ति निहित है; ऐसी शक्ति क़ानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया

द्वारा सीमित है। इस प्रकार शक्ति का प्रयोग केवल उसी तरीके से किया जाना है, जिसमें विफल रहने पर यह कानून के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगा। इस न्यायालय ने अधिकृत अधिकारी के साथ गलती पाई और कार्रवाई को केवल इस हद तक खराब घोषित किया कि खाते को फ्रीज करने से पहले और बाद में कानूनी आवश्यकता का पालन नहीं किया गया। यह आरोप की योग्यता या मामले से संबंधित किसी अन्य पहलू और अपीलार्थी और उसके निदेशकों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के आधार पर व्यक्त की गई राय के रूप में नहीं समझा जाएगा, जो कि पीड़ित पक्ष द्वारा किसी भी मुद्दे को उठाए जाने पर उचित कार्यवाही में ध्यान देने योग्य मामला है। [अनुच्छेद 15]

मोहिंदर सिंह गिल और अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली एवं अन्य**(1978) 1 एससीसी 405 : [1978] 2 एससीआर 272**; चंद्र किशोर झा बनाम महावीर प्रसाद और अन्य **(1999) 8 एससीसी 266: [1999] 2 सप्ल एससीआर 754 - पर निर्भर किया है**।

<u>निर्णय विधि संदर्भ</u>

[1978] 2 एससीआर 272	**पर भरोसा**	**अनुच्छेद 13**
[1999] 2 सप्ल एससीआर 754	**पर भरोसा**	**अनुच्छेद 15**

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं 102/2021

रिट याचिका संख्या 8031/2020 (सामान्य विविध मामले-पुनर्स्थापना) में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 13.08.2020 से

एस.वी राजू, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, मुकेश रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता शशीकिरण शेट्टी, महेश ठाकुर, जोहेब हुसैन, सुश्री आकांक्षा कौल, तेजस पटेल, भुवन कपूर, कानू अग्रवाल, अरविंद कुमार शर्मा, पी.एस सुधीर, श्रुति जोस, अनिल कुमार संगल, सिद्धार्थ संगल, नीलांजनी टंडन, बी.वी बलरामदास, बी कृष्ण प्रसाद, उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

ए एस बोपन्ना, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष 13.08.2020 के कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 8031/2020 में पारित आदेश को लागू कर रहा है। उक्त सामान्य आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय ने दो रिट याचिकाओं का निपटारा किया है, लेकिन यहां विचार रिट याचिका संख्या 8031/2020 में उठाए गए मुद्दे से संबंधित है, जो अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें उनके बैंक खाते को फ्रीज करने से संबंधित मुद्दा उठाया गया था।

3. जब प्रवेश के लिए विशेष अनुमति याचिका सूचीबद्ध की गई थी, तो अपीलार्थी के विद्वत वरिष्ठ वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया कि अपीलार्थी कंपनी द्वारा बनाए गए बैंक खातों को फ्रीज करने से अपीलार्थी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अपीलार्थी के खाते में जो राशि है, वह उनके लिए अनुपलब्ध है, जिसके कारण विभिन्न अधिनियमों के तहत सक्षम अधिकारियों को किए जाने वाले वैधानिक भुगतान को रोक दिया जाता है और कर्मचारियों को देय वेतन का भुगतान भी रोक दिया जाता है। उस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने हालांकि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही शुरू करने में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया था, हालांकि, बैंक खाते को डीफ्रीज करने के मुद्दे पर इस अपील में विचार के दायरे को सीमित कर दिया था ताकि अपीलार्थी को वैधानिक भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके। उस दृष्टिकोण से, प्रतिवादी को दिनांक 11.09.2020 के आदेश के माध्यम से निम्नलिखित तरीके से नोटिस जारी किया गया था-"दो सप्ताह के भीतर वापसी योग्य आवश्यक भुगतान को सक्षम करने के उद्देश्य से प्रतिबंधित नोटिस जारी करें"। पेश किए जाने पर प्रत्यर्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किया है।

4. उस पृष्ठभूमि में हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी और श्री एस. वी. को सुना है। राजू ने प्रत्यर्थी नंबर. 4 की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में काम किया और याचिका पत्रों का अवलोकन किया।

5. वर्तमान अपील धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपीलार्थी के खिलाफ प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा शुरू की गई कार्यवाही से उत्पन्न होती है। समरूप मामला, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका के साथ विचार किया गया था, जो कथित विधेय अपराध के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा

शुरू की गई कार्रवाई से संबंधित विषय है और तत्काल कार्यवाही उसी से बाहर है। यह उस पृष्ठभूमि में है कि प्रवर्तन निदेशालय ने विधेय अपराध से संबंधित धन के लेन-देन पर नज़र रखने और उसी के स्तर को रोकने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही शुरू की है उक्त प्रक्रिया में उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय ने दिनांक 15.05.2020 को प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 बैंकों के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अधिकारी को संबोधित संचार के माध्यम से उन्हें निर्देश दिया कि अपीलकर्ता कंपनी द्वारा बनाए गए खातों को अगले आदेश तक 'डेबिट फ्रीज/स्टॉप ऑपरेशन' किया जाए। यह उस प्रकाश में है कि पीड़ित होने का दावा करने वाले अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 8031 ,15.05.2020 को प्रत्यर्थी संख्या 1, प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ बनाए गए खाते संख्या 200006044354 और प्रत्यर्थी संख्या 3 के साथ बनाए गए खाते संख्या 39305709999 के साथ बनाए गए खाते संख्या 914020014786978 को डेबिट फ्रीज करने के लिए जारी किए गए संचार को रद्द करने के लिए एक उचित रिट जारी करने की मांग की है। उस संबंध में अपीलार्थी ने यह भी प्रार्थना की कि प्रत्यर्थियों को उन खातों को डीफ्रीज करने का निर्देश दिया जाए जिनका संदर्भ दिया गया है।

6. उच्च न्यायालय ने मामले पर विस्तार से विचार किया और उस उद्देश्य को ध्यान में रखा जिसके साथ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 को अधिनियमित किया गया था और आदेश के दौरान निर्दिष्ट निर्णयों में उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए जा रहे अधिनियम की वैधता पर विचार किया गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 4 के तहत समानांतर कार्यवाही की अनुमति और दायरे को विस्तार से बताया गया और कार्रवाई को बरकरार रखा गया। जहां तक विधेय अपराध के लिए की गई कार्रवाई को देखते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही शुरू करने की शक्ति और क्षमता के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए तर्क और निष्कर्ष तक पहुंचने का सवाल है, उच्च न्यायालय बहुत अधिक उचित था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विवादित संचार क्षमता या औचित्य के साथ था, इस बात की जांच की जानी चाहिए थी कि क्या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत विचार की गई 'उचित प्रक्रिया' का अनुपालन किया गया था ताकि इसे कानूनी रूप से वैध और टिकाऊ बनाया जा सके, हालांकि अधिनियम के तहत शक्ति उपलब्ध थी। जैसा कि पहले ही देखा गया है, इस अपील में किया जाने वाला विचार इसलिए खाते को फ्रीज/डीफ्रीज करने के पहलू तक सीमित है, विशेष रूप से अपीलार्थी की वैधानिक भुगतान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भले ही खाते को फ्रीज करना उचित पाया जाए।

7. मामले के इस पहलू की ओर ध्यान देते हुए, यह भी तथ्य है कि क्या सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध शक्ति का उपयोग उसी तरीके से किया गया है जैसा कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत विचार किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (प्रत्यर्थी संख्या 4) ने अपने जवाबी हलफनामे में विरोधाभासी रुख अपनाया है, क्योंकि खाते को फ्रीज करने की आवश्यकता को समझाते हुए कहा गया है कि 'स्टॉप ऑपरेशन' से अपराध की आय की आगे की परत/मोड़ को रोकने और अपराध की आय की सुरक्षा के लिए अनुरोध किया गया था, जिसे हम देखते हैं कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत एक शक्ति उपलब्ध है। लेकिन जवाबी हलफनामे में अजीब तरह से कहा गया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 (1) के तहत ऐसा नहीं किया गया है। हालांकि, इसके विपरीत इसे धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत उपलब्ध शक्ति के संबंध में और यह बताया गया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 एक स्वतंत्र अधिनियमन और स्वतंत्र प्रक्रिया है, जिसके तहत धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 71 का अन्य कानूनों पर ओवरराइडिंग प्रभाव पड़ता है। अपनाए गए रुख के बावजूद, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की गई शक्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत इस मामले में कानून में प्रदान किए गए तरीके से दिखाया जाना चाहिए।

8. इस पहलू की सराहना करने के लिए, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 का संदर्भ लेना उचित होगा जिसके तहत ऐसी संपत्ति या रिकॉर्ड को फ्रीज करने का भी प्रावधान है। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 इस प्रकार है :-

17. तलाशी एवं जब्ती - (1) जहां निदेशक या इस धारा के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत उप निदेशक के पद से नीचे के किसी अन्य अधिकारी के पास अपने अधिकार में सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसी धारणा का कारण लिखित रूप में अभिलिखित किया जाना है) कि –

(i) कोई ऐसा कार्य किया है जो धन शोधन का गठन करता है, या

(ii) धन-शोधन में शामिल अपराध की किसी भी आय के कब्जे में है, या

(iii) धन शोधन से संबंधित किसी भी अभिलेख के कब्जे में है, या

(iv) अपराध से संबंधित किसी संपत्ति के कब्जे में है तो, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन, वह अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को-

(क) किसी भी इमारत, स्थान, पोत, वाहन या विमान में प्रवेश करें और तलाशी लें जहां उसे संदेह करने का कारण है कि इस तरह के रिकॉर्ड या अपराध की आय रखी गई है;

(ख) खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी भी दरवाजे, बॉक्स, लॉकर, सेफ, अल्मीरा या अन्य पात्र का ताला तोड़ दें, जहां इसकी चाबियां उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए किसी भी अभिलेख या संपत्ति को जब्त करना;

(घ) यदि आवश्यक हो तो संपत्ति के ऐसे अभिलेख पर पहचान के चिह्न लगाएँ या उनसे उद्धरण या प्रतियाँ बनाएँ या बनवाएँ;

(ड़) इस तरह के रिकॉर्ड या संपत्ति का एक नोट या एक सूची बनाएं;

(च) इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक सभी मामलों के संबंध में किसी भी व्यक्ति, जो किसी रिकॉर्ड या संपत्ति के कब्जे या नियंत्रण में पाया जाता है, की शपथ पर जांच करनाः

(1क) जहां ऐसे अभिलेख या संपत्ति को जब्त करना व्यवहार्य नहीं है, वहां उपधारा (1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी ऐसी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकता है, जिस पर संपत्ति का अंतरण या अन्यथा व्यवहार नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि ऐसा आदेश देने वाले अधिकारी की पूर्व अनुमति के साथ, और ऐसे आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को दी जाएगीः

परन्तु यदि किसी समय, धारा 8 की उपधारा (5) या उपधारा (7) या धारा 58ख या धारा 60 की उपधारा (2क) के अधीन उसके अभिग्रहण से पूर्व, अभिगृहीत संपत्ति अभिगृहीत करना व्यावहारिक हो जाता है, तो उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी ऐसी संपत्ति अभिगृहीत कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण, जिसे उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किया गया है, तलाशी और अभिग्रहण के तुरंत बाद या निरोध आदेश जारी होने पर अपने कब्जे में सामग्री के साथ इस प्रकार अभिलिखित कारणों की एक प्रति, जो उस उपधारा में निर्दिष्ट है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को सीलबंद लिफाफे में, उस रीति में, जो विहित की जाए, भेजेगा और ऐसा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ऐसी अवधि के लिए ऐसे कारणों और सामग्री को रखेगा, जो विहित की जाए।

(3) जहां किसी प्राधिकारी का, धारा 16 के अधीन सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त सूचना पर, यह समाधान हो जाता है कि कोई साक्ष्य छिपाए जाने या उसके साथ छेड़छाड़ किए जाने की संभावना है, तो वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उस भवन या स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है जहां ऐसा साक्ष्य स्थित है और उस साक्ष्य को जब्त कर सकता हैः

बशर्ते कि इस उपधारा के तहत तलाशी के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी अभिलेख या संपत्ति को अभिगृहीत करने वाला या उपधारा (1क) के अधीन किसी अभिलेख या संपत्ति को अभिगृहीत करने वाला प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसी अभिगृहीत या अभिगृहीत किए जाने से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत ऐसे अभिलेख या संपत्ति के प्रतिधारण के लिए या उपधारा (1क) के अधीन अधिगृहीत अभिगृहीत करने के आदेश को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष जारी रखने के लिए अनुरोध करते हुए आवेदन दायर करेगा।

9. उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि पूर्व शर्त यह है कि निदेशक या ऐसे अन्य अधिकृत अधिकारी को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए, अपने कब्जे में जानकारी के आधार पर, यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति ने मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कार्य किए हैं और तलाशी में पाए गए किसी भी रिकॉर्ड या संपत्ति को जब्त करने की आवश्यकता है। अधिकारी के इस तरह के विश्वास को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 की उपधारा (1क) में यह प्रावधान है कि उपधारा (1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी ऐसे अभिलेख या संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकता है जहां ऐसे अभिलेख या संपत्ति को जब्त करना व्यवहार्य नहीं है। उप-धारा (2) में यह उपबंध है कि तलाशी

और अभिग्रहण के बाद या निरोध आदेश जारी होने पर प्राधिकृत अधिकारी अपने कब्जे में सामग्री के साथ अभिलिखित कारणों की एक प्रति सीलबंद लिफाफे में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजेगा। उपधारा (4) में यह उपबंध है कि उपधारा (1) या (1क) के अधीन किसी अभिलेख या सम्पत्ति को अभिग्रहण या अभिग्रहण करने वाला प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसी अभिग्रहण या अभिग्रहण से तीस दिनों की अवधि के भीतर, अभिनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष ऐसे अभिग्रहण या अभिग्रहण की गई संपत्तियों को बनाए रखने का अनुरोध करते हुए आवेदन दायर करेगा।

10. स्पष्टता के उद्देश्य से, इस बात पर जोर दिया जाता है कि खाते को फ्रीज करने के लिए भी इसी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी क्योंकि 'अपराध की आय' का आरोप लगाने वाला बैंक खाता 'संपत्ति' और 'रिकॉर्ड' दोनों के दायरे में आएगा। उस संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 2 (द) और (ध) पर ध्यान देना उचित होगा जो "संपत्ति" और "रिकॉर्ड" को परिभाषित करता है। वही इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

> **“धारा 2(v) "संपत्ति" से प्रत्येक विवरण की कोई संपत्ति या संपत्ति अभिप्रेत है, चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक, चल या अचल, मूर्त या अमूर्त और इसमें ऐसी संपत्ति या संपत्ति, जहां कहीं भी स्थित हो, के स्वामित्व या उसमें हित का प्रमाण देने वाले विलेख और साधन शामिल हैं।“**
>
> **"धारा 2 (ध)-" "रिकॉर्ड" "-पुस्तकों के रूप में रखे गए या कंप्यूटर या ऐसे अन्य रूप में संग्रहीत किए गए रिकॉर्ड शामिल हैं जो निर्धारित किए जा सकते हैं।"**

11. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की योजना सुविचारित है। जबकि यह धन शोधन को रोकने और अपराधियों को कानून के दायरे में लाने के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, यह उन व्यक्तियों के अधिकारों की भी रक्षा करता है जिनके खिलाफ प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करके अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसलिए समयसीमा सहित एक प्रक्रिया प्रदान की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शक्ति का प्रयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए अधिकारी को ऐसी शक्ति निहित है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भी लूप में रखा जाता है। तत्काल मामले में, पीएमएलए की धारा 17 के तहत विचार की गई प्रक्रिया, जिसके लिए ऊपर संदर्भ दिया गया है, का पालन अधिकृत अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। एंटी मनी-लॉन्ड्रिंग अधिकारी को फ्रीजिंग की मांग करने के लिए दिनांक 15.05.2020 को विवादित संचार जारी करने के अलावा, कानून में विचार की गई किसी अन्य

प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। वास्तव में, आक्षेपित संचार अधिकृत अधिकारी के विश्वास को भी संदर्भित नहीं करता है, भले ही वह अलग से दर्ज किया गया हो। इसमें केवल यह कहा गया है कि अधिकारी मामले की जांच कर रहा है और प्रासंगिक दस्तावेजों की मांग कर रहा है, लेकिन सारणीबद्ध कॉलम में अचानक कहा गया है कि खातों को 'डेबिट फ्रीज/स्टॉप ऑपरेशन' होना चाहिए। यह निश्चित रूप से आवश्यक नहीं है कि बैंक को संबोधित संचार में ही सभी विवरण होने चाहिए। लेकिन जो आवश्यक है वह फाइल में एक आदेश है जो संचार जारी होने से पहले धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 (1) के तहत प्रदान किए गए विश्वास को दर्ज करता है और उसके बाद फ्रीजिंग के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 ए की धारा 17 (2) की आवश्यकता का पालन किया जाता है। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 के अनुपालन को इंगित करने के लिए न्यायालय के समक्ष कोई अन्य सामग्री नहीं रखी गई है, विशेष रूप से धन शोधन के कार्य के विश्वास को दर्ज करते हुए और इसे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष रखने के लिए या खाते को फ्रीज करने के बाद आवेदन दायर करने के लिए। उस दृष्टिकोण से, फ्रीजिंग या इसकी निरंतरता कानूनी आवश्यकता के उचित अनुपालन के बिना है और इसलिए, टिकाऊ नहीं है।

12. श्री एस.वी राजू, विद्वान अतिरिक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह तर्क देने का एक सूक्ष्म प्रयास किया कि जब्ती की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के तहत उपलब्ध है, जिसका प्रयोग किया गया है और इस तरह खाते को फ्रीज करना वैध रहेगा। हम एक से अधिक कारणों से इस तरह के विवाद की सराहना और स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सबसे पहले, जैसा कि उल्लेख किया गया है, प्रत्यर्थी संख्या. 4 का यह तर्क रहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 एक स्वतंत्र अधिनियम है। यदि ऐसा है और जब ऐसे अधिनियम में अभिग्रहण के लिए कोई प्रावधान है जिसमें फ्रीजिंग शामिल है, तो उसमें उपलब्ध शक्ति का प्रयोग किया जाना है और उसमें विचार की गई प्रक्रिया का पालन किया जाना है। दूसरा, जब विशेष अधिनियम के तहत शक्ति उपलब्ध होती है, तो सामान्य कानून के तहत शक्ति का सहारा लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तीसरा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के तहत शक्ति जांच के दौरान पुलिस अधिकारी के पास होती है और प्रावधान की योजना धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत योजना से अलग होती है। इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 की उप-धारा (3) भी यह अपेक्षा करती है कि पुलिस अधिकारी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को जब्ती की रिपोर्ट तुरंत करेगा, जिसका अनुपालन भी यह नहीं दिखाया गया है कि क्या उक्त प्रावधान वास्तव में लागू किया गया था।

इसके अलावा, दिनांक 15.05.2020 का आक्षेपित संचार दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रयोग की जा रही शक्ति का उल्लेख नहीं करता है।

13. जिस कार्रवाई को बनाए रखने की मांग की गई है, वह विवादित आदेश/संचार की सामग्री के संदर्भ में होनी चाहिए और अदालत के समक्ष दायर आपत्ति बयान या हलफनामे में उठाए गए विवाद के माध्यम से उसमें सुधार करके इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यह इस न्यायालय द्वारा ***मोहिंदर सिंह गिल और अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य***(1978) 1 एस.सी.सी. 405) के मामले में संक्षेप में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है;

> "8. दूसरा समान रूप से प्रासंगिक मामला यह है कि जब कोई वैधानिक पदाधिकारी कुछ आधारों के आधार पर आदेश देता है, तो इसकी वैधता को इस प्रकार उल्लिखित कारणों से आंका जाना चाहिए और शपथ पत्र के रूप में या अन्यथा नए कारणों से पूरक नहीं किया जा सकता है। अन्यथा, शुरुआत में खराब आदेश, जब तक वह किसी चुनौती के कारण अदालत में आता है, तब तक बाद में सामने लाए गए अतिरिक्त आधारों द्वारा मान्य हो सकता है। हम यहाँ गोरधनदास भंजी में जे. बोस की टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं :
>
> (1) "सार्वजनिक रूप से किए गए सार्वजनिक आदेश, एक वैधानिक प्राधिकरण के प्रयोग में, अधिकारी द्वारा बाद में दिए गए स्पष्टीकरणों के प्रकाश में नहीं माने जा सकते हैं, जो आदेश देते हैं कि उनका क्या मतलब था, या उनके दिमाग में क्या था, या उनका क्या करने का इरादा था। सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा दिए गए सार्वजनिक आदेश सार्वजनिक प्रभाव के लिए होते हैं और जिनका उन्हें संबोधित किया जाता है, उनके कार्यों और आचरण को प्रभावित करने के लिए होते हैं और आदेश में उपयोग की गई भाषा के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ रूप से इसका अर्थ लगाया जाना चाहिए।"
> ऑर्डर पुरानी शराब की तरह नहीं होते, जैसे-जैसे वे पुराने होते जाते हैं, वे बेहतर होते जाए:"
>
> वास्तव में, तत्काल मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के इस तरह के विवाद को इस अपील में या उच्च न्यायालय के समक्ष जवाबी हलफनामे में भी नहीं रखा गया है और यह केवल विद्वत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की सरलता का प्रयास रहा है। इसलिए इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, उच्च न्यायालय के

समक्ष दायर आपत्ति बयान में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत उपलब्ध शक्तियों पर बहुत जोर दिया गया है और इसका उपयोग धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 के तहत उपलब्ध शक्तियों का विशेष रूप से उल्लेख किए बिना किया जा रहा है।

14. प्रत्यर्थी संख्या 4 ने जवाबी हलफनामे में कहा है कि अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिनांक 02.11.2019 को की गई शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी, उसके अध्यक्ष और प्रवर्तक निदेशकों ने साजिश रची है और उन्हें धोखा दिया है। विदेशों में धन के डायवर्जन द्वारा 354.32 करोड़ रुपये। इस संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या आरसी 18 (ए)/2019 दिनांक 04.11.2019 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (ख) के साथ धारा 420,468 और 471 के तहत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (घ) के साथ धारा 13 (2) के तहत पढ़ा गया। चूंकि उक्त अपराध भी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 2 (1) (x) और (y) के तहत अनुसूचित अपराध हैं, इसलिए प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट - बीजीजेडओ/01/2020 में मामला निदेशालय द्वारा 02.01.2020 को दर्ज किया गया था और अपराध की कथित आय की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की गई है। उस पहलू पर हमने पहले ही संकेत दिया है कि उच्च न्यायालय धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत शुरू की गई कार्रवाई को बरकरार रखने में उचित था, लेकिन यहां विचार केवल बैंक खाते को फ्रीज करने के संबंध में था और क्या ऐसा करते समय धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था।

15. इस न्यायालय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि यदि कोई कानून किसी विशेष तरीके से किसी काम को करने का प्रावधान करता है, तो उसे अकेले उसी तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं। अन्य बातों के अलावा, निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने से संबंधित मामले में, पटना उच्च न्यायालय के नियमों के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार, इस न्यायालय के पास यह पता लगाने के लिए नियमों पर विचार करने का अवसर था कि ***चंद्र किशोर झा बनाम महावीर प्रसाद और अन्य*** (1999) 8 एस.सी.सी. 266 के मामले में निर्वाचन याचिका की वैध प्रस्तुति क्या होगी और विचार के क्रम में निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया गयाः

"यह एक अच्छी तरह से स्थापित हितकारी सिद्धांत है कि यदि कोई क़ानून किसी काम को एक विशेष तरीके से करने का प्रावधान करता है, तो उसे उस तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं।

इसलिए, यदि हितकारी सिद्धांत को परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है, तो तत्काल मामले में, हालांकि अधिकृत अधिकारी के पास पर्याप्त शक्ति निहित है; ऐसी शक्ति क़ानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा सीमित है। इस प्रकार शक्ति का प्रयोग केवल उसी तरीके से किया जाना है, जिसमें विफल रहने पर यह कानून के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगा। हमने अधिकृत अधिकारी के साथ गलती पाई है और खाते को फ्रीज करने से पहले और बाद में कानूनी आवश्यकता का पालन नहीं करने के लिए कार्रवाई को खराब घोषित किया है। यह आरोप की योग्यता या मामले से संबंधित किसी अन्य पहलू और अपीलार्थी और उसके निदेशकों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के आधार पर व्यक्त की गई राय के रूप में नहीं समझा जाएगा, जो कि पीड़ित पक्ष द्वारा किसी भी मुद्दे को उठाए जाने पर उचित कार्यवाही में ध्यान देने योग्य मामला है।

16. उपरोक्त विचार के अलावा, इस न्यायालय का ध्यान अपीलार्थी की ओर से दायर याचिका के संबंध में भी गया है, जिसमें अपीलार्थी को वैधानिक देय राशि का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए खाते को डीफ्रीज करने की आवश्यकता के बारे में कहा गया है। इस संबंध में अपीलार्थी ने चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र (पृष्ठ 231 पर संलग्नक-पी/38) पर भरोसा किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डेटा प्रणाली, निर्वाह निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, व्यावसायिक कर, ग्रेच्युटी और जीवन बीमा निगम कर्मचारियों की कटौती के लिए कुल मिलाकर रु.79,93,124/- की देय राशि को इंगित करता है। चूंकि हमने संकेत दिया है कि फ्रीजिंग कानून के उचित अनुपालन के बिना किया गया है, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को संबंधित खातों को डीफ्रीज करने और अपीलार्थी द्वारा जारी किए गए चेक को क्लियर करने का निर्देश दिया जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डेटा प्रणाली, निर्वाह निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, व्यवसाय कर, ग्रेच्युटी और जीवन बीमा निगम कर्मचारियों की कटौती के लिए सक्षम प्राधिकरण के पक्ष में तैयार किए गए हैं, बशर्ते कि संबंधित खाते में धन की उपलब्धता हो। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि वैधानिक देय राशि के भुगतान के बाद खाते में कोई और राशि उपलब्ध है और उसी के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या. 4 द्वारा उचित समय के भीतर कोई कार्रवाई की जानी है, तो यह उनके

लिए आवश्यक प्रक्रिया के नए सिरे से अनुपालन के अधीन ऐसा करने के लिए खुला होगा, जैसा कि कानून में विचार किया गया है।

17. उपरोक्त के संदर्भ में, दिनांक 15.05.2020 का संचार रद्द कर दिया गया है। हम निर्देश देते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या वाले खातों को डीफ्रीज कर देंगे। 914020014786978, 200006044354 और 39305709999 और ऊपर बताए गए वैधानिक बकाया के लिए अपीलार्थी द्वारा सलाह दिए गए सम्मान भुगतान। स्वतंत्रता प्रत्यर्थी संख्या 4 के लिए तब कानून के अनुसार नए सिरे से कार्रवाई शुरू करने के लिए आरक्षित है, यदि वे चाहते हैं।

18. अपील को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है, जिसमें लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होता है।

अंकित ज्ञान अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई ।

दिब्या कुमारी की देखरेख में, अधिवक्ता सरवजीत सिंह द्वारा अनुवादित।